न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 43 / 2022
अनवान
सरिता उर्फ चन्दू बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार आऊ

दिनांक 21–2–2022

उक्त पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर से सुनवाई हेतु स्थानांतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर की गई । वर्तमान अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश कमांक प्रगांसं/2021/ 13 दिनांक 26–10–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । वकील अपीलांट को सुना गया । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार आऊ की ओर से ग्राम गोरछिया बेरा के कदीमी रास्तो के उपयोग मे आ रही भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता घोषित कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने से पूर्व खातेदारान को सुनवाई बाबत कोई नोटिस जारी नही किया और न ही सुनवाई का अवसर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के प्रस्वात मे वर्णित खसरा नंबर की भूमि के संबंध मे मौके की जांच करवाये बिना केवल हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के खातेदारी के रकबे मे से 0.8094 हेक्टेयर भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

21/2/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि खरीद की है एवं रास्ता होता तो अपीलांट के नाम म्युटेशन स्वीकृत करते वक्त रास्ते का उल्लेख करते परंतु जिस स्थान पर पटवारी हल्का ने रास्ता बताया है उस स्थान पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई है जिसमे अपीलांट निवास करती है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे खातेदारान की बिना सुनवाई किये उनके खातेदारी के रकबे मे किसी प्रकार का फेरबदल नही किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजर अंदाज करते हुए जो अपीलाधीन आदेश कमांक/प्र.गां.सं/2021/13 दिनांक 26–10–21

पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपील पत्रावली एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । अपील पत्रावली मे ग्राम गोरछिया बेरा पटवार हल्का आऊ मे खसरा नंबरान 154/1, 154, 156, 168, 167, 166, 165, 169, 172, 171 की भूमि मे से मौके पर चल रहे प्रचलित रास्तो का प्रस्ताव जो पटवारी एवं निरीक्षक भू अभिलेख द्वारा तैयार का तहसीलदार (भू0अ0) आऊ के हस्ताक्षर से उनकी अभिशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष दिनांक 26-10-2021 को प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट ने उसी दिन बिना खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना खातेदारो की सहमति के ही उनके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप हु-ब-हु तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रकबे की भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै0मु0रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के अनुरूप नही होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार आऊ द्वारा प्रस्तुत रास्ते के प्रस्ताव को धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णित कर दिया परंतु किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये सीधे ही उनकी खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए तथा प्रस्तावित रकबे की किस्म खातेदारी मे से गै0मु0रास्ता के रूप मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी-बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश कमांक/प्रगांस/ /2021/13 दिनांक 26-10-2021 मे से अपीलार्थियां के ग्राम गोरछिया बेरा के खसरा नंबर 154/1 मे से प्रस्तावित गै0मु0 रास्ते का रकबा 0.8094 हेक्टेयर के संबंध मे पारित किया गया आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

21/12/2021
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

.... (3)

किया जाता है कि वे अपीलांट की उपस्थिति मे उसके खातेदारी खेत मे चल रहे कदीमी/चालू रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे विधिवत सुनकर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबर की भूमि मे से कोई रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है, तो उसे बंद किये बिना प्रस्ताव पृथक से बनाकर उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रस्तुत करे तथा उपखण्ड अधिकारी लोहावट उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

21/2/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर